[1][धारा 17क : कतिपय रकमों का अंतरण

जहां कोई रकम, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाता से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता में अंतरित की गई है, वहां सरकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता से अंतरित रकम के बराबर रकम को राज्य कर लेखा और संघ राज्यक्षेत्र कर लेखा को अंतरित कर देगी।]

---

1 धारा 17क वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–एकीकृत कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।